रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243797
CG-DL-E-22022023-243797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944
No. 100] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 122(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 57 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन:- इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों के पदधारियों को, जो उक्त पदों पर इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उनके द्वारा धारित संबंधित पदों पर उनके द्वारा की गई निरंतर सेवा की गणना परिवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टिकरण तथा पेंशन की अवधि के प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुभाग अधिकारी	6* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-8 (₹47600-151100)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां या जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> ऐसे सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (₹35400-112400) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकारी; - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रुपये 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समतुल्य में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. **निजी सचिव**	12* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-8 (₹47600-151100)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) पचासी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'ग' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता

के स्तर-6 (₹35400-112400) में छह वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकारी; - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक का पद धारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; (iii) ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	

अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. **कोर्ट मास्टर**	12* (2023) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ख',	स्तर-8 (₹47600-151100)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) पचासी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'ग' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (₹35400-112400) में छह वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकारी; - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक का पद धारण किए हुए हैं; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	लागू नहीं होता

(ii) ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; (iii) ऐसे आशुलिपिक, जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रुपये 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. **लेखा अधिकारी**	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (₹44900-142400)	चयन।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (₹35400-112400) में ऐसे लेखाकार सह रोकड़िया जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य**	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (₹35400-112400) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:- (i) केंद्रीय सरकार के संगठित लेखा विभाग में से किसी एक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखापरीक्षा या लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; और (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नकद और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो और नकद, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	

किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.**सहायक**	11* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-6 (₹35400-112400)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री	नहीं	दो वर्ष	(i) सत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) तीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में दस वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव,उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य** विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार,	लागू नहीं होता

पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन अधिकारी; - **(क)** (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये 25500-81100) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ)7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव,उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	10* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (₹35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) सत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4(₹25500-81100) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (i) जो नियमित आधार पर आशुलिपिक के पद धारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे आशुलिपिक, जिन्होंने मूल काडर या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. निदेशक या उप सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये25500-81100) में या समतुल्य में उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. लेखाकार सह रोकड़िया	1* (2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-6 (₹35400-112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा,

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार या उप सचिव, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. अवर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4(रुपये 25500-81100) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या समतुल्य पाठ्यक्रम में नकद और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और नकद, लेखा और बजट कार्य का दो साल का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. कंप्यूटर प्रोग्रामर	1* (2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-6 (₹35400-112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग (कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स) में बैचलर	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

डिग्री या कंप्यूटर उपयोजन में मास्टर; और (ii) (क) इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रक्रमण कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशन का एक वर्ष का अनुभव भी है; या (ख) आंकड़े प्रक्रमण कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत यूनिट रिकॉर्ड सिस्टम (टेबुलर या अकाउंटिंग मशीन, कोलेटर, आदि) का एक वर्ष का अनुभव भी है। वांछित: (i) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में औपचारिक प्रशिक्षण; (ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान; और (iii) यांत्रिक सारणीकरण उपकरण के संचालन का अनुभव, ऐसे उपकरण पर योजना और पर्यवेक्षण कार्य।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300) में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ)7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, सरकारी विभागों से ज्येष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक के स्तर का एक अधिकारी (अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट) - **सदस्य**	लागू नहीं होता

इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-6 (₹35400-112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछित: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300) में या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ)7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. पुस्तकालया विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ अधिमानत: ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी या सरकारी विभागों के पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के एक अधिकारी (अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. हिंदी अनुवादक	1* (2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख',	स्तर-6 (₹35400-112400)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग - **सदस्य** 3. सरकारी विभागों से राजभाषा के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ अधिमानतः उप निदेशक (राजभाषा) या सहायक निदेशक (राजभाषा) के स्तर का एक अधिकारी (अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट) - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

[फा. सं. जे-1/9/2020-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department Of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2023

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following Rules, namely:

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution. –** The incumbents of the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules who were appointed to the said posts before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the continuous service rendered by them in the respective posts held immediately before the commencement of these rules shall be count for the purpose of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. **Number of posts, classifications and level in pay matrix –** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. **Section Officer**	6* (2023**)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'.	Level 8 (₹47600-151100).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) fifty per. cent by promotion failing which deputation. (ii) fifty per. cent by deputation.

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant with 8 years regular service in level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission –Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs –Member.	Not applicable.

already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 7 (₹44900-142400) in the pay matrix or equivalent;or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 6 (₹35400-112400)in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Private Secretary	12* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 8 (₹47600-151100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) fifteen per. cent by promotion failing which by deputation. (ii) eighty-five per. cent by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade 'C' with Six years regular service in level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (i) holding analogous post of Stenographer on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Stenographer with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level 7 (₹44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) Stenographer with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in the level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission –Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission –Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs –Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Court Master	12* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 8 (₹47600-151100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) fifteen per. cent by promotion failing which by deputation. (ii) eighty-five per. cent by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade 'C' with sixyears regular service in the level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (i) holding analogous post of Stenographer on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Stenographer with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in the level 7(₹44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) Stenographer with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in the level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission –Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission –Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs –Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Accounts Officer	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 7(₹44900-142400)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Accountant-cum-cashier in level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 6 (₹35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:— (i) must have passed the Subordinate Audit or Account Services or equivalent examination conducted by any one of the Organized Accounts Department of the Central Government; and (ii) must have successfully completed training in Cash and Accounts work in the Institute of the Secretariat Training and Management or equivalent training course and have minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission –Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs –Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant	11 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Selection	Not exceeding thirty years. (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognized University.	No	Two years	(i) seventy per. cent by promotion failing which by deputation. (ii) thirty per. cent by deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk with ten years' regular service in level 4 (₹25500-81100) in the pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation Officers under the Central Government or the State Governments or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 4 (₹25500-81100) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Stenographer Grade 'C'	10* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	(i) thirty per. cent by promotion failing which by deputation. (ii) seventy per. cent by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade 'D' in the level 4 (₹25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (i) holding analogous post of Stenographer on regular basis; or (ii) Stenographer in level 4 (₹25500-81100) in the pay matrix or equivalent with ten years regular service in the grade. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission –Chairperson; 2. Registrar or Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs –Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Accountant-cum-Cashier	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or absorption

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Supreme Court or High Courts;— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level 5 (₹29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level 4 (₹25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent course and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work. **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Joint Registrar or Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Under Secretary, Department of Consumer Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Computer Programmer	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor Degree in Engineering (Computer Science or Electronics) or Master of Computer Application from a recognized University or equivalent; and (ii) (a) two years' experience of on Electronic data possessing work including one year	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation failing which by direct recruitment

experience of Computer Programming or Operation or (b) two years' experience of data possessing work including one year experience of unit record System (Tabular or accounting Machines, collator, etc.) Desirable: (i) formal training in computer Programming operation; (ii) knowledge of one or more of the Programming language; and (iii) experience of operating mechanical tabulation equipment, planning and supervising work on such equipment.				
(11)		(12)		(13)
Deputation: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Supreme Court or High Courts;— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level 5 (₹29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Joint Registrar or Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. An expert in the field of Computer Science preferably an officer of the level of Senior Technical Director or Technical Director from the Government Departments (to be nominated by the President, National Consumer Disputes Redressal Commission) – Member.		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Assistant Librarian	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central

					Government)

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential (i) bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University or the Institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Governments or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Supreme Court or High Courts or University or recognized research or educational institution. Desirable: diploma in Computer application from a recognized University or Institute.	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or Supreme Court or High Courts or public sector undertakings;— (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' of regular service in level 5 in pay matrix (₹29200-92300) or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Joint Registrar or Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. An expert in the field of Library Science preferably an officer of the level of Senior Library and Information Officer or Library and Information Officer from the Government Departments (to be nominated by the President, National Consumer Disputes Redressal Commission) – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Hindi Translator	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level 6 (₹35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (iv) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (v) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or Supreme Court or High Courts or public sector undertakings;— (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and, (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Joint Registrar or Deputy Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. An expert in the field of Official Language preferably an officer of the level of Deputy Director (Official Language) or Assistant Director (Official Language) from the Government Departments (to be nominated by the President, National Consumer Disputes Redressal	Not applicable.

to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Commission) – Member.	

[F.No. J-1/9/2020-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.22 22:59:45 +05'30'